संख्या– 533 /XXIV-B-(3)/2026/22797

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 13 मई, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में धनराशि अवमुक्त करने संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–5क/01(33)/267729/2026–27 दिनांक 07.04.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त रू0 3000000 हजार (रूपये तीन अरब मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
2. अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी दशा में पार्किंग ऑफ फण्ड नहीं किया जायेगा।
3. उक्त हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रकियाओं/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान दिया जायेगा।
4. प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा निर्गत समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण मितव्ययतता का विशेष ध्यान दिया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की

File No. SE3-2/2.1/46/2022-XXIV-B-3-Secondary Education Department (Computer No. 22797)
Generated from eOffice by PARVEEN SINGH, Review Officer-Secondary Education Section-3-PS. REVIEW OFFICER. Secondary Education Department on 13/05/2026 12:17 pm

जायेगी। वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/ मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
7. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0– I/384289/ E–94611/09(150)/2019/XXVII(1)/2026 दिनांक 01.04.2026, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
9. वचनबद्ध मदों, यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आदि मदों की धनराशि के अंतर्गत आहरण/व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
10. अधिष्ठान संबंधी अवचनबद्ध मदों के अंतर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में, वास्तविक व्यय एवं आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। किसी प्रकार का अधिक व्ययभार सृजित नहीं किया जायेगा।
11. धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना से धनावंटन नहीं किया गया है। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
12. अनुदान के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनिर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 के अंतर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। राजस्व पक्ष से पूंजीगत पक्ष तथा पूंजीगत पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोजन प्रतिबन्ध है। अतः इस प्रकार के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध न कराये जाए।
13. बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित प्राविधान कि नियन्त्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए तथा बी0एम0–8 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाए। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह–05

भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

15. सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत किये जाये जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय। बजट नियन्त्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0–17 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजिका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों पर आवंटन आहरण वित्त अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष/बजट नियन्त्रण अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन राजस्व पक्ष की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी किया जाए अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा और जिसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
16. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अंतर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अंतर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अंतर्गत ही रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का होगा।
17. अधिष्ठान संबंधी जिन मदों में किसी मुद्रण (टंकण) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटित में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के संबंध में धनराशि व्यय करने से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
18. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा।
19. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में अनुदान सं0 11 राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 110–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 03–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान 01–आवर्तक अनुदान में मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जाए।

3. उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश 130/ XXVII(6)/430/ एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहें है।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित कमांक–I/395196/ 2026, दिनांक 12 मई, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 13-05-2026
11:23:24

(रविनाथ रामन)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–533/XXIV-B-(3)/2026/22797 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़ उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार भवन, कौलागढ़ उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय निदेशन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. विशेष कार्याधिकारी, महानिदेशक, सूचना, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Richa
Date: 13-05-2026
11:55:49

(ऋचा)
उप सचिव